


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
<p>21/10 21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। ग्राम पंचायत सि पंचायत की रिपोर्ट अनुसार जमीलांत जलवंतसिंह एवं बख्शी के शासकता खाते की काराजी में मूलक बालाराम का इनामाल खोलते तमाम सद्वन के नाम गलत दर्ज हो गये हैं जबकि इन्ही खातेदारों के अन्य ग्राम रोशावती की छवि अति में सही नाम दर्ज हो है। प्रकरण में जमीलांत के नाम सही दर्ज किये जाने योग्य है।</p> <p>लखीलांत कुंठ के प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जमीलांत को ग्राम में खोलते नाम ले जाने के कारण जमीलांत के नाम गलत दर्ज होये जबकि जमीलांत के दस्तावेजों आकारकार्ड, कोट (आर) के राशिकार्ड के सही नाम दर्ज है अतः जमीलांत के नाम सही किये जाने योग्य है।</p> <p>पत्रावली का अनुसंधान किया गया। सिविल में राज्य आदेशों के द्वारा आर 136 LRA के के अंतर्गत जमीलांत के नाम शुद्ध दर्ज कर दिये गये हैं। ऐसे में जमीलांत का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अतः उक्त जमीलांत की वारंट पर विचारित की जाती है। पत्रावली केवल शुभ होकर दायरे में रहती है।</p>	


 (सन्तोष कुमार मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा जिला झालावाड
 प्रशासन गांव के संग 2021

